न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर०ए०एस०**

राजस्व वाद संख्या : 2020 / 00159 (60 / 2020)

–: वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

वादी:

1. रामुराम पुत्र नारूराम
   जाति थोरी निवासी ताम्बडियां कलां
   तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. हापुराम पुत्र बगसाराम
2. बाबुराम पुत्र बगसाराम
3. प्रेमाराम पुत्र बगसाराम
4. केली पुत्री बगसाराम
5. सुवटी पुत्री बगसाराम
6. कमा पुत्री बगसाराम
7. नारूराम पुत्र घेवरराम
8. अर्जुनराम पुत्र घेवरराम
9. मेहराम पुत्र घेवरराम
10. सोहनराम पुत्र मिसाराम
11. तेजाराम पुत्र मिसाराम
12. सुआ पुत्री मिसाराम
13. समी पुत्री मिसाराम
14. फुली पत्नी मिसाराम
15. पतासी पत्नी मांगीलाल
16. बालाराम पुत्र मांगीलाल
17. रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल
18. भल्लाराम पुत्र मांगीलाल
19. रामजीवण पुत्र मांगीलाल
20. बिला पुत्री मांगीलाल
21. बेबी पुत्री मांगीलाल
22. बावडी पुत्री मांगीलाल
23. चुखा पुत्री मांगीलाल
24. पुरखाराम पुत्र हरदान जाति थोरी निवासी सोपडा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
25. तहसीलदार भोपालगढ

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–

1. श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, वादीगण।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

(मुहर)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

दिनॉकः– 12/1/22

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम सोपड़ा तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नं. 467 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है जो वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है, जिसको आगे वाद में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। सबूत के तौर पर चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश साथ पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिसपर वादी व प्रतिवादीगण का सामलाती कब्जा काश्त है अर्थात् किसी प्रकार का बंटवाडा किया हुवा नही है तथा आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के बीच काश्त को लेकर विवाद रहता है तथा वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि तहसील में चलकर बंटवाडा कर लो लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया था तब वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा का दावा पेश किया है। विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच काश्त को लेकर विवाद रहता है तथा वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवाडा को कहा तो अभी दिनांक 05.09.2020 को प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से मना कर दिया जो वाद कारण आज भी जारी है। तब वादी ने विवादित भूमि का बंटवाडा का दावा पेश किया तथा वादी के बंट पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करे, स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सम्मन तामिली एवं न्यायालय में बार बार आवाज लगाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक्स पार्टी किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वादी की ओर से स्वयं वादी रामुराम एवं गेंदुड़ी पत्नी नारूराम जाति नाईक निवासी ताम्बडियां कलां तहसील भोपालगढ़ का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से साक्ष्य वादी जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में खसरा नं. 467 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें वादी 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार–काश्तकार है। जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना हम उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनॉक 06.04.2021 को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम सोपड़ा की राजस्व सीमा में खसरा नं. 467 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/प्राथ.डिक्री/2021/593 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी वकील एवं डिक्री की पालना [illegible] किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai S Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:27
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम सोपड़ा की राजस्व सीमा में खसरा न. 467

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (बीघा)	किस्म	दिशा
1	रामुराम पुत्र नारूराम जाति थोरी निवासी ताम्बडियां कलां तहसील भोपालगढ़ (वादी)	467	01–16–10	बारानी द्वितीय	उतरी
2	बगसाराम, घेवरराम, मिसाराम, मांगीलाल, पुरखाराम पिता हरदान जाति थोरी निवासी सोपड़ा तहसील भोपालगढ़ (प्रतिवादीगण) (जमाबंदी अनुसार खातेदार) नोटः– बगसाराम, घेवरराम, मिसाराम, मांगीलाल पि. हरदान फौत है।	467	01–16–10	बारानी द्वितीय	दक्षिणी

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

12/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 12/1/22 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

12/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

बईजलास :–श्री हवाई सिंह यादव ,आर0ए0एस0

–: वादी :–

1. रामुराम पुत्र नारूराम
   जाति थोरी निवासी ताम्बडियां कलां
   तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हापुराम पुत्र बगसाराम
2. बाबुराम पुत्र बगसाराम
3. प्रेमाराम पुत्र बगसाराम
4. केली पुत्री बगसाराम
5. सुवटी पुत्री बगसाराम
6. कमा पुत्री बगसाराम
7. नारूराम पुत्र घेवरराम
8. अर्जुनराम पुत्र घेवरराम
9. मेहराम पुत्र घेवरराम
10. सोहनराम पुत्र मिसाराम
11. तेजाराम पुत्र मिसाराम
12. सुआ पुत्री मिसाराम
13. समी पुत्री मिसाराम
14. फुली पत्नी मिसाराम
15. पतासी पत्नी मांगीलाल
16. बालाराम पुत्र मांगीलाल
17. रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल
18. भल्लाराम पुत्र मांगीलाल
19. रामजीवण पुत्र मांगीलाल
20. बिला पुत्री मांगीलाल
21. बेबी पुत्री मांगीलाल
22. बावडी पुत्री मांगीलाल
23. चुखा पुत्री मांगीलाल
24. पुरखाराम पुत्र हरदान जाति थोरी निवासी सोपड़ा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
25. तहसीलदार भोपालगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Sin
Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:27 IS
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 2020/00159 (60/2020)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी [illegible]लाल चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व ग्राम सोपड़ा की

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

राजस्व सीमा में खसरा नं. 467 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (बीघा)	किस्म	दिशा
1	रामुराम पुत्र नारूराम जाति थोरी निवासी ताम्बडियां कलां तहसील भोपालगढ़ (वादी)	467	01–16–10	बारानी द्वितीय	उतरी
2	बगसाराम, घेवरराम, मिसाराम, मांगीलाल, पुरखाराम पिता हरदान जाति थोरी निवासी सोपड़ा तहसील भोपालगढ़ (प्रतिवादीगण) (जमाबंदी अनुसार खातेदार) नोटः– बगसाराम, घेवरराम, मिसाराम, मांगीलाल पि. हरदान फौत है।	467	01–16–10	बारानी द्वितीय	दक्षिणी

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/1/22 को जारी किया गया ।

12/1/22

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

मोहर

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फर्रिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के खिलाफ गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

12/1/22

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़